भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2366
उत्तर देने की तारीख 09 अगस्त, 2023
बुधवार, 18 श्रावण, 1945 (शक)

कौशल विकास कार्यक्रम के लक्ष्य

2366 श्री नीरज डांगीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 30 करोड़ लोगों को कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा कौशल विकास और उद्यमशीलता योजना में अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं बुनियादी शिक्षा की कमी के कारण प्रशिक्षण केंद्रों को बंद किए जाने की रिपोर्ट मिली हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) कौशल विकास द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में संचालित केंद्रों का राज्य-वार ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 के अनुसार, वर्ष 2014-15 में कार्यबल में किसी औपचारिक कौशल रहित तथा कौशलीकरण, पुन: कौशलीकरण और कौशल उन्नयन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 29.82 करोड़ थी और वर्ष 2015-22 के बीच कार्यबल में कौशलीकरण की आवश्यकता वाले नए प्रवेशकों की अनुमानित संख्या प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ थी।

भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन करना है ताकि हमारे युवाओं को अर्थव्यवस्था के विस्तार और भारत की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर व्यापक अवसरों के लिए तैयार किया जा सके। एसआईएम का उद्देश्य युवाओं में भावी और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए प्रतिभा तैयार करना है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), कुशल भारत मिशन के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत देश में कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एमएसडीई की सभी स्कीमें मांग-संचालित हैं और इन स्कीमों के माध्यम से लाभान्वित लोगों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	स्कीमें	प्रशिक्षित लोगों की संख्या
1	पीएमकेवीवाई (वित्त-वर्ष 2015-16 से 2022-23)	137.24 लाख
2	जेएसएस (वित्त-वर्ष 2018-19 से 2022-23)	19.62 लाख
3	एनएपीएस (वित्त-वर्ष 2018-19 से 2022-23)	20.40 लाख
4	सीटीएस (2018-19 से 2021-22)	50.89 लाख

इसके अलावा, मार्च, 2023 तक एनएसडीसी द्वारा 209 लाख लोगों को शुल्क-आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उपर्युक्त के अलावा, 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय विभिन्न स्कीमों के माध्यम से कौशलीकरण/कौशलोन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। मार्च, 2023 तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत कुल 14.03 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत मार्च, 2023 तक 14.23 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के अंतर्गत दिसंबर, 2022 तक 33.64 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) और (ग) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, चूककर्ता/अनुपालन न करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों/ हितधारकों के खिलाफ पेनल्टी ग्रिड ढांचे के अनुसार उचित कार्रवाई करने का प्रावधान है। पेनल्टी ग्रिड के आधार पर, एमएसडीई के अंतर्गत पीएमकेवीवाई की कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने कई मापदंडों पर पीएमकेवीवाई दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 358 प्रशिक्षण केंद्रों को निलंबित किया है।

देश में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** पर दी गई है।

अनुबंध-I

''कौशल विकास कार्यक्रम के लक्ष्य'' के संबंध में 09.08.2023 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के पैरा (ग) के उत्तर के संदर्भित अनुबंध।

पीएमकेवीवाई, जेएसएस, एनएपीएस और आईटीआई के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौशल विकास केंद्रों की संख्या (31.03.2023 तक):

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेके केंद्र	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस**	आईटीआई	
					सरकारी आईटीआई	निजी आईटीआई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	8	3	1
2	आंध्र प्रदेश	16	6	828	85	433
3	अरुणाचल प्रदेश	6	0	12	7	0
4	असम	28	5	693	31	13
5	बिहार	39	21	367	150	1223
6	चंडीगढ़	1	1	94	2	0
7	छत्तीसगढ	21	14	202	120	113
8	दिल्ली	7	3	454	17	36
9	गोवा	0	1	247	11	2
10	गुजरात	24	9	10377	274	234
11	हरियाणा	14	4	4687	160	228
12	हिमाचल प्रदेश	6	11	531	128	140
13	जम्मू और कश्मीर	16	1	388	49	1
14	झारखंड	18	12	272	77	269
15	कर्नाटक	18	12	1349	275	1227
16	केरल	10	9	1352	149	314
17	लद्दाख	2	2	3	3	0
18	लक्षद्वीप	0	1	1	1	0
19	मध्य प्रदेश	42	27	759	195	883
20	महाराष्ट्र	30	21	6569	422	607
21	मणिपुर	11	4	15	10	0
22	मेघालय	6	1	25	7	1
23	मिजोरम	3	1	5	3	0
24	नगालैंड	3	2	16	8	0
25	ओडिशा	21	28	542	63	450
26	पुदुचेरी	3	0	146	8	7
27	पंजाब	20	2	606	114	236
28	राजस्थान	29	8	580	160	1453
29	सिक्किम	3	0	36	4	0
30	तमिलनाडु	22	8	1844	87	414
31	तेलंगाना	22	6	950	66	233
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	2	71	3	0
33	त्रिपुरा	2	2	68	20	2
34	उत्तर प्रदेश	56	47	4873	286	2943
35	उत्तराखंड	13	8	433	105	84
36	पश्चिम बंगाल	31	8	773	150	138
	सकल योग	**545***	**288**	**37047**	**3,253**	**11,685**

* 545 पीएमकेके को प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया है, और 454 पीएमकेके में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है।

**प्रतिष्ठानों की संख्या

****